लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल – 462023
दूरभाष कमांक :0755–2583659, ई–मेल : dpividhya@gmail.com

क्रमांक / विद्या / जे.डी. / पी.ए. / 2018 / 1412 भोपाल, दिनांक 9 .05.2018

प्रति,

कलेक्टर
जिला राजगढ़, दमोह, छतरपुर, खण्डवा,
गुना, बड़वानी, सिंगरौली, विदिशा, म0प्र0

विषय :–म0प्र0 के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की स्कूल शिक्षा विभाग के सूचकांकों के अनुसार विदिशा जिले की समीक्षा बैठक।

संदर्भ :–प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की टीप दिनांक 06.04.2018।

——000——

उपर्युक्त विषयांतर्गत लेख है कि नीति आयोग द्वारा प्रदेश के 8 जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की श्रेणी में रखा जाकर इन्हें 3 वर्ष में अग्रणी जिलों में सम्मिलित किये जाने का प्रयास किया जाना है। शिक्षा क्षेत्र को 30 प्रतिशत अधिभार दिया जाकर उसमें 8 सूचकांक हैं जिनकी जानकारी पृथक से संलग्न हैं। दिनांक 15 मार्च 2018 को उपरोक्त जिलों की कार्य योजना का प्रस्तुतिकरण संबंधित जिला कलेक्टरों द्वारा मुख्य सचिव महोदय के समक्ष किया गया है। शासन स्तर से इन सूचकांकों के आधार पर जिलों की शिक्षा से संबंधित कार्य योजना की समीक्षा कर आवश्यक वित्तीय एवं प्रशासकीय प्रस्ताव चाहें गए हैं।

संदर्भित बिन्दुओं के संबंध में दिनांक 16 मई 2018 को अपरान्ह 11.00 बजे एक समीक्षा बैठक राज्य शिक्षा केन्द्र, बी विंग ऑफिस कॉम्प्लेक्स, पुस्तक भवन अरेरा हिल्स में आहूत की गई है। कृपया इस बैठक में आपके प्रतिनिधि सहित कार्यपालन यंत्री, पीएचई, कार्यपालन यंत्री, म0प्र0 विद्युत मण्डल, कार्यपालन यंत्री, पी.आई.यू. एवं जिला शिक्षा अधिकारी / जिला परियोजना समन्वयक / तथा एस.एस.ए. अंतर्गत सहायक यंत्रियों को आवश्यक जानकारी सहित बैठक में उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(जयश्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / विद्या / जे.डी. / पी.ए. / 2018 / 1413 भोपाल, दिनांक 9 .05.2018

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
2. श्री लोकेश जाटव, संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र की ओर आपसे इस संबंध में चर्चा के संदर्भ में सूचनार्थ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी / जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान / ADPC RMSA; जिला राजगढ़, दमोह, छतरपुर, खण्डवा, गुना, बड़वानी, सिंगरौली, विदिशा, म0प्र0 की ओर उपर्युक्तानुसार मैदानी अमले के साथ बैठक में उपस्थित होने हेतु।

आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश